1	विभाग	ग्राम्य विकास
2	योजना का नाम –	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण।
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	इस योजना का मुख्य उददेष्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराना है । आवास निर्माण हेतु धनराषि लाभार्थी के बैक खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती है । योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थियों का धनराषि का आवंटन 3 किस्तों में एफ0टी0ओं0 के माध्यम से उनके व्यक्तिगत एकाउन्ट में विकास खण्ड के द्वारा स्थानान्तरित की जाती है। नवीनतम निर्देषानुसार प्रथम किष्त में 40000/– जिससे आवास का निर्माण प्लिंथ लेवल होने के पष्चात द्वितीय किष्त रू0 70000/– तथा आवास का निर्माण छत पडने व प्लॉस्टर होने के पष्चात तृतीय किष्त रू0 10000/– की धनराषि उपलब्ध कराई जायेगी । धनराषि की अवमुक्ति एम0आई0एस0 पर आवास निर्माण कार्य की जी0ओ0 टेगिंग एवं वेरिफिकेषन के उपरान्त की जायेगी। आवास महिला के नाम अथवा पति /पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जायेगा मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जेन्स की व्यवस्था की गयी है । स्वच्छ भारत मिषन/मनरेगा के अन्तर्गत षौचालय के निर्माण हेतु रू0 12000 की धनराषि प्रदत्त किये जाने का प्राविधान है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत बिजली का कनेक्षन तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत एल0पी0जी0 कनेक्षन उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता–	का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्श 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी आवास हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार किया जाता है ।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	–
6	लिंक वैबसाईट	.
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजना निदेषक डी0आर0डी0ए0 अथवा संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।